राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

कमांक एफ–20(131)/निजभूस/पी.एफ.सी./2012–13/2652-27 दिनांक : 30.3.15

समस्त परियोजना प्रबंधक
जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण
जिला परिषद.....................

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यों के समन्वित जलग्रहण विकास योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence) के दिशा निर्देश।

संदर्भः– महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का पत्रांक एफ–40(73) ग्रावि/नरेगा/ कन्वर्जेन्स–आईडब्ल्यूएमपी /2014 दिनांक 09.03.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान ने संदर्भित पत्रांक द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यों के समन्वित जलग्रहण विकास योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence) के दिशा निर्देश जारी किये हैं। उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत अभिसरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करावें :

(i) आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत परियोजना में, जहां डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी है :–

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में आई.डब्ल्यू.एम.पी. फण्ड्स के अतिरिक्त अन्य नरेगा अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन अन्तर्गत श्रम प्रधान कार्यों को मनरेगा से कराने हेतु शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट बनाये जावें एवं इन्हें वार्षिक कार्य योजना में शामिल करवाने हेतु कार्यों की सूची सम्बंधित कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा, पंचायत समिति को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अतिरिक्त अन्य विभागों के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को सम्बंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर कन्वर्जेन्स अन्तर्गत लिया जावे।

(i) आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत परियोजना में, जहां डी.पी.आर. तैयार की जा रही है :–

आई.डब्ल्यू.एम.पी. की नई परियोजनाऐं जिनकी डी.पी.आर. अब तक नहीं तैयार की गई हैं, उन परियोजनाओं में जलग्रहण क्षेत्र को संतृप्त करने हेतु आवश्यक समस्त प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन अन्तर्गत गतिविधियों को शामिल किया जावे एवं श्रम प्रधान कार्यों को मनरेगा से करवाने हेतु मनरेगा, जलग्रहण समितियों एवं ग्राम सभा के सम्बधित अधिकारियों से विचार विमर्श एवं अनुमोदन पश्चात डी.पी.आर. में स्पष्ट रूप से पार्ट **"ब"** में उल्लेखित किया जावे।

नरेगा के अभिसरण हेतु कार्यों का सम्पादन अपर रीजेज़ में पहले एवं लोवर रीजेज़ में बाद में किये जावें इसके लिये प्राथमिकता दर्शाई जावे। जो कार्य मनरेगा योजना से सम्पादित किये जाने

प्रस्तावित हैं, उनके तकनीकी लागत अनुमान डब्ल्यू.डी.टी. संदस्य, अभियान्त्रिकी द्वारा तैयार किये जावें। कन्वर्जेन्स हेतु प्रस्तावित कार्यों को परियोजना के नक्शे पर भी अंकित किया जावे।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अतिरिक्त अन्य विभागों यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, राष्ट्रीय तकनीकी प्रबंधन संस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल डेयरी प्लान, लाईवस्टोक हैल्थ एण्ड डीजीज कंट्रोल प्रोग्रेम्स, नाबार्ड के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को सम्बंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर कन्वर्जेन्स अन्तर्गत लिया जावे। इन योजनाओं के अन्तर्गत गतिविधियों को पार्ट "स" में उल्लेखित किया जावे।

संदर्भित पत्रांक की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त क्रम में जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें। अभिसरण अन्तर्गत किये गये कार्यों की प्रगति संलग्न प्रपत्र– 1 में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक एक्सेल फॉरमेट में ई–मेल आई.डी. wdsc_pfc@yahoo.co.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

30.3.15

(एम.एस. काला)
निदेशक

एफ–20(131)/निजभूस/ पी.एफ.सी./2012–13/2652-2703 दिनांक : 30.3.15

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं आयुक्त ई.जी.एस., राजस्थान।
4. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष डब्ल्यू.सी.डी.सी., समस्त राजस्थान।
5. संयुक्त निदेशक (एम.आई.ई.एस.) निदेशालय ज.ग्र.वि. एवं भू संरक्षण को प्रेषित कर लेख है कि कन्वर्जेन्स हेतु प्रपत्र–1 में जिले वार सूचना की प्रत्येक माह मोनिटरिंग करें।
6. ए.सी.पी., निदेशालय ज.ग्र.वि. एवं भू संरक्षण को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, ..., निदेशालय ज.ग्र.वि. एवं भू संरक्षण।

अति. निदेशक–IWMP

अभिसरण (Convergence) का प्रगति प्रतिवेदन

जिले का नाम :

प्रगति प्रतिवेदन माहः

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	गतिविधि का नाम	प्रगति		विभाग / योजना जिससे अभिसरण किया गया है
					भौतिक	वित्तीय	
				योग			

नोट : प्रत्येक योजना–विभाग से अभिसरण अन्तर्गत कार्यों का योग अंकित किया जाना आवश्यक है।